

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) प्रत्याग्रह समिति दूब

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

राजेश कुमार पुत्र कोट्टा बंनम राजस्थान सरकार

दावा बाबत श्री सुश्री श. लालि धारा 88 RTI


मुकदमा नम्बर :- 122/2022

निर्णय दिनांक :- 10.06.2022

वादी की ओर से स्वयंवादी की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.06.22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी स्विकार किया जाकर रोही ग्राम लावासा परत सज पुरा की खाता सं. 129 ख. नं. 115, 49, 05, 93, 98 में अर्जि राजेश पुत्र कोट्टा के स्वामित्व पर राजेश कुमार पुत्र आम प्रकारा विधे जनि की घोषणा की जाती है। लटवनिदा पूरु वस्तुवला राजस्व आदिजिखरे अमल दरागड मो। वदिके विरुद्ध पूरे के काई अपराधिक प्रकरण दूर होने या सत्कारी वकाम की धिचारे में पूरे नाम की माग्य होरा खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेग।

यह आज तारीख 10.06.22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील	
जोड़	जोड़

